राकेश कुमार ओझा,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे

1. समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

2. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग–5 लखनऊ : दिनांक 21 सितम्बर, 2012

विषय: ग्रामीण क्षेत्रो मे पेयजल की समस्या के त्वरित निदान हेतु हैण्डपम्पों के रिबोर/ अधिष्ठापन के सम्बन्ध मे अन्तरिम दिशा–निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–343/अड़तीस–5–12–67 सम/07 टी0सी0–1, दिनांक 04 मई, 2012 तथा शासनादेश संख्या–343(2)/अड़तीस–5–12–67 सम/07 टी0सी0–1, दिनांक 19 मई, 2012 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– प्रदेश मे अधिष्ठापित एवं रिबोर होने वाले कुल 82100 हैण्डपम्पों के बारे मे उक्त शासनादेश मे यह निर्देश दिए गये है कि जब तक प्रदेश स्तर से वर्ष 2012–13 मे पेयजल कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु कोई दिशा–निर्देश जारी नही किए जाते, तब तक ग्रामीण क्षेत्रो मे वर्ष 2011–12 मे पेयजल योजनाओ के क्रियान्वयन हेतु शासनादेश संख्या–1512/ अड़तीस–5–11–67सम/07 टी0सी0, दिनांक 05 अगस्त, 2011 मे निहित प्रावधानो के अनुसार प्रत्येक विकास खण्ड मे 100 हैण्डपम्प की दर से रिबोर/नये हैण्डपम्प का अधिष्ठापन सुनिश्चित कराया जाए। तदुपरान्त समसंख्यक शासनादेश दिनांक 19.05.2012 मे यह भी प्रावधानित किया गया था कि यदि जिलाधिकारी द्वारा यह आवश्यक समझा जाय कि किसी विकास खण्ड की आवश्यकता के दृष्टिगत रिबोर योग्य हैण्डपम्पों की संख्या 50 से अधिक है तो उस दशा में 50 से अधिक परन्तु अधिकतम 100 की संख्या में ही हैण्डपम्प रिबोर कराये जा सकते हैं। इस विषय मे बिना जिलाधिकारियो की जानकारी के हैण्डपम्प लगाये जाने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

3– उक्त के क्रम मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त इंगित शासनादेशों के अनुपालन में हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन एवं रिबोर की प्रचलित कार्यवाही तात्कालिक प्रभाव से रोकी जाती है। रिबोर /अधिष्ठापन हेतु लक्ष्य के सापेक्ष अवशेष बचे हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन /रिबोर का कार्य भविष्य मे प्रदेश के जनपदों के प्रभारी मा0 मंत्री जी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा जनपदवार/विकास खण्डवार मानक के अनुरूप अनुमोदित सूची के अनुसार कराया जायेगा। सभी जिलाधिकारी दिनांक 21.09.2012 तक अधिष्ठापित / रिबोर किये जा चुके हैण्डपम्पों की सूची जनपद स्तर पर प्राप्त कर दिनांक 24.09.2012 तक उपलब्ध करा देंगे। इस विषय मे ज्ञातव्य है कि शासनादेश संख्या–1688/ अड़तीस–5–2002/657/ 2001, दिनांक 06 जून, 2002 मे उल्लिखित 150 की आबादी तथा शासनादेश संख्या–1512/अड़तीस–5 –11–67 सम/07 टी0सी0, दिनांक 05 अगस्त, 2011 में उल्लिखित 75 मीटर की दूरी के मानक के अनुरूप अवशेष आबादियों ./ स्थलों की सूची बनाने के निर्देश उत्तर प्रदेश जल निगम के अधिशासी अभियन्ताओं को दिये जा चुके हैं।

4– कृपया उक्त निर्णय का अनुपालन कडाई से सुनिश्चित कराने का कष्ट करे।

भवदीय,

(राकेश कुमार ओझा)
विशेष सचिव।

संख्या-[illegible]

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रमुख सचिव, वित्त/नियोजन/नगर विकास/पंचायती राज एवं कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
5. स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
6. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. निदेशक, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
8. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
9. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
10. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कार्पो0 लि0, लखनऊ।
11. निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ को समस्त जिलाधिकारियों को ई–मेल के माध्यम से प्रेषित करने हेतु।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(signature)

(शिव कुमार पाठक)

अनु सचिव।